

प्रति निर्णय दिनांक 18-3-20
स्थगन प्रार्थनापत्र सं. R-11 2/2020
जंतराम वल्लभ राजस्थान सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर
—*—

18-3-20 प्राथी के वकील उपस्थित/अप्राथी
की ओर से सरकारी वकील उपस्थित/
इस प्रकरण से संबंधित मूल अपील
में निर्णय हो चुका है। अतः अब इस
स्थगन प्रार्थनापत्र का कोई प्रभाव
नहीं होने से यह स्थगन प्रार्थनापत्र
स्वारेज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय सबे इजलास सुनाया गया। यह
प्रकरण मूल अपील के साथ संलग्न
है।